

कार्यालय— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय—आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र प्रसार अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्षेत्र प्रसार अधिकारियों का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
01	श्री सुधीर काला	पशु सेवा केन्द्र, श्रीकोट, पौड़ी	पशु सेवा केन्द्र, मालदेवता, दे०दून	निजी अनुरोध
02	श्री विजय रावत	भेड एवं ऊन प्रसार केन्द्र, केदारकांठा, चमोली	पशु सेवा केन्द्र, हरमनी, चमोली	निजी अनुरोध
03	श्री मोहन लाल कोहली	पशु सेवा केन्द्र, छिनका, चमोली	भे०प्र०पी० पीपलकोटी, चमोली	निजी अनुरोध
04	श्री भगवान सिंह महन्त	पशु सेवा केन्द्र, काण्डई, चमोली	पशु सेवा केन्द्र, पोखरी, पौड़ी	निजी अनुरोध
05	श्री सुधीर चमोली	पशु सेवा केन्द्र, हेलंग, चमोली	पशु सेवा केन्द्र, छिनका, चमोली	निजी अनुरोध

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण भर्त्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/- (डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 550

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/पौड़ी/चमोली।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० अशोक कुमार)
अपर निदेशक।